न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद/विविध प्रकरण संख्या 106/2010

प्रार्थी/वादीः—	बनाम	अप्रार्थी/प्रतिवादीगणः—
1. तहसीलदार (भुमिधारी), पाली		1. श्रीमती उछबकंवर बेवा जालम सिंह
		2. महेन्द्रसिंह पुत्र नारायण सिंह जातिगण राजपूत निवासीगण मण्डलीखुर्द तहसील पाली।

उपस्थितिः—

1. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री मदन दास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:निर्णयः— दिनांक 21.01.2020

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा मण्डलीखुर्द में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 60/2, 60/3, 60/5, 60/6 व 60/7 रकबा 73.15 बींघा किस्म चा0सो0 जमाबन्दी संवत् 2064—67 के अनुसार अपार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। पर अकृषि प्रयोजन हानिप्रद कार्य से उपयोग कर आंशिक भूमि पर मौके पर अनाधिकृत भूखण्ड बनाकर सड़क आदि का निर्माण कार्य करवाया जाकर कालोनी बनाई जा रही है। कृषि भूमि के मूल भौतिक स्वरूप को नष्ट कर कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने से कृषि भूमि की उर्वरता नष्ट करने के फलस्वरूप उक्त कृषि भूमि कृषि के योग्य नही रही है तथा भूमि की उर्तरता व उत्पादकता शक्ति खत्म हो गई है। इस प्रकार खसरा नम्बर 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 60/2, 60/3, 60/5, 60/6 व 60/7 रकबा 73.15 बीघा किस्म चा0सो0 कृषि भूमि का अकृषि हानिप्रद कार्य करने व उपयोग किये जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन है। सरहद मौजा मण्डलीखुर्द में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 60/2, 60/3, 60/5, 60/6 व 60/7 रकबा 73.15 बीघा किस्म चा0सो0 भूमि के खातेदारी अधिकारी अप्रार्थीगण के निरस्त फरमाते हुए सिवाय चक घोषित किया जावें।

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

3. प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजुद नोटिस तामिल के न्यायालय के असालतन व वकालतन अनुस्थित रहे। जिस कारण से दिनांक 07–04–2011 को उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

4. उक्त प्रार्थना पत्र को वाद मे परिणित किया जाकर वाद की तरह सुनवाई करने हेतु आदेश दिया गया।

5. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

6. सरकारी पैरोकार तहसलीदार पाली ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि सरहद मौजा मण्डलीखुर्द में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 60/2, 60/3, 60/5, 60/6 व 60/7 रकबा 73.15 बीघा किस्म चा0सो0 जमाबन्दी संवत् 2064–67 के अनुसार अपार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। पर अकृषि प्रयोजन हानिप्रद कार्य से उपयोग कर आंशिक भूमि पर मौके पर अनाधिकृत भूखण्ड बनाकर सड़क आदि का निर्माण कार्य करवाया जाकर कालोनी बनाई जा रही है। कृषि भूमि के मूल भौतिक स्वरूप को नष्ट कर कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने से कृषि भूमि की उर्वरता नष्ट करने के फलस्वरूप उक्त कृषि भूमि कृषि के योग्य नही रही है तथा भूमि की उर्तरता व उत्पादकता शक्ति खत्म हो गई है। उक्त कृषि भूमि का कृषि से अकृषि में परिवर्तन होने के कारण मेरे द्वारा उक्त भुमि को धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारों के खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु प्रस्तत किया गया था जो इस प्रकरण में मण्डलीखुर्द में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 60/2, 60/3, 60/5, 60/6 व 60/7 रकबा 73.15 बीघा किस्म चा0सो0 भुमि वर्तमान में पाली शहर की पैरी फैरी सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार आ चुके है। वर्ष 2013 में पाली शहर में नगर विकास न्यास भी स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास, पाली का हो जाता है।

7. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। मौजा मण्डलीखुर्द में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 60/2, 60/3, 60/5, 60/6 व 60/7 रकबा 73.15 बीघा किस्म चा0सो0 वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन अनुसार पाली शहर में नगर विकास न्यास स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमि पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास पाली का हो जाता है। अतः इस संबंध मे इस न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः क्षैत्राधिकार से बाहर हो जाने कारण अंतर्गत

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 खारीज किया जाकर नगर विकास न्यास, पाली को सूचित किया जावें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार के बाहर पाये जाने से तहसीलदार पाली का प्रार्थना पत्र/वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय की प्रति पत्र के साथ सचिव, नगर विकास न्यास, पाली को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली

इजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद / विविध संख्या 106 सन् 2010

प्रार्थी / वादीः– **बनाम** **अप्रार्थी / प्रतिवादीगणः–**

1. तहसीलदार (भुमिधारी), पाली

1. श्रीमती उछबकंवर बेवा जालम सिंह

2. महेन्द्रसिंह पुत्र नारायण सिंह जातिगण राजपूत निवासीगण मण्डलीखुर्द तहसील पाली।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री केसर सिंह तहसीलदार पाली, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व श्री मदन दास वैष्णव, मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार कर क्षेत्राधिकार बाहर होने से डिक्री किये जाने योग्य नहीं पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 01 सन् 2020 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलेक्टर
पाली

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.01.30 13:12:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: